

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

यातायात (लेखा) विभाग, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक : एफ4/मु./याता/लेखा (162)/2016/५५६

दिनांक :- ०३-१०-२०१६

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 351 दिनांक 29.7.2016 के द्वारा वातानुकूलित सुपर लग्जरी जयपुर दिल्ली मार्ग पर अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित सेवाओं का निर्धारित यात्री किराये रु. 849 प्रति यात्री प्रतिसीट (सभी अधिभार एवं शुल्क सहित) को संशोधित कर रु. 755 प्रतिसीट प्रतियात्री (सभी अधिभार एवं शुल्क सहित) निर्धारित किया जाता है। इस पर नियमानुसार सर्विस टैक्स पृथक से वसूली योग्य है।

उक्त आदेश दिनांक 04.10.2016 - 05.10.2016 की मध्य रात्रि से 30.11.2016 रात्रि 24:00 बजे तक या यात्री किराया दरों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिये प्रभावी होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

५७१९३७
०५-१०-१६

31/10/16
(सोहन लाल धानका)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक : एफ4/मु./याता/लेखा(162)/2016/५५६

दिनांक :- ०३-१०-२०१६

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय यातायात मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय यातायात राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष () राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
6. समस्त महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () राजस्थान परिवहन निगम, मु0 जयपुर।
7. निगम सचिव राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
8. उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी/बजट/टिकिट/अंकेक्षण) राज0 परि0 नि0, मु0 जयपुर।
9. उप महा प्रबन्धक (आई.टी.). राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें तथा कम्प्यूटर एवं ई.टी.आई.एम. में आवश्यक संशोधन कराना सुनिश्चित करावें।
10. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क)/संचालन/() रा.प.नि.मुख्यालय जयपुर।
11. सहा0 लेखाधिकारी (टिकिट/अंकेक्षण) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
12. मुख्य प्रबन्धक ,डीलक्स आगार/सी.बी.एस. आगार जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जयपुर -देहली उक्त सेवाओं के संचालन परिणामों की सतत् मोनिटरिंग की जावे, सकल राजस्व में वृद्धि के प्रयास किये जावे एवं पाक्षिक समीक्षा रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
13. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त) राजस्थान परिवहन निगम.....आगार ।
14. कन्ट्रोल रूम, मुख्यालय, जयपुर।
15. आदेश पत्रावली ।

नरेन्द्र चौधरी
(नरेन्द्र चौधरी) ०३/१०/१६
कार्यकारी प्रबन्धक (यातायात)